डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 334/2024 अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

1. इन्द्राज पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी लाडम तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. पुरखाराम उर्फ लिलुराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवंशी निवासी लाडम तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राज0।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. हेतराम पुत्र भानीराम जाति मेघवाल निवासी लाडम तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री कुलदीप बिश्नोई वकील–वादीगण
श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 2
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक– 07-10-2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रौही मौजा लाडम के खाता सं. नया 12 पुराना 47 के खसरा संख्या 545/225 की 3.0425है0 बारानी भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 2 की 24733/30425 हिस्सा भूमि के स्थान पर वादी संख्या 1 को 0.7023है0 व प्रतिवादी संख्या 2 को 1.7710है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी रोही मोजा लाडम के खाता संख्या 122 पुराना 47 के खसरा संख्या 544/225 की 3.0425है0 बारानी भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 2 की 10399/12170 हिस्सा भूमि के स्थान पर वादी संख्या 2 को 0.7023 है. व प्रतिवादी सं. 2 को 1.89745है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07-10-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.10.15 11:58:54 IST
Reason: SelfAttested